कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 10.05.2023

पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन द्वारा मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन, अपराध/ अपराधियों पर नियंत्रण रखने हेतु मातहतों को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 10-05-2023 को पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन श्री अमित कुमार द्वारा अपने कार्यालय में वरुणा जोन के सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट/रोहनियां तथा थाना प्रभारी कैण्ट, शिवपुर, लालपुर पाण्डेयपुर, सारनाथ, चौबेपुर, चोलापुर, रोहनियां, मण्डुवाडीह, लोहता की उपस्थिति में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी की गयी। इस दौरान आपराधिक आंकड़ों की समीक्षा करते हए पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन द्वारा गोष्ठी में मौजूद राजपत्रित अधिकारीगण व थाना प्रभारियों को अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश दिये गये, जो निम्नवत हैं-

- लूट/चोरी/छिनैती/नकबजनी जैसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु रात्रिगश्त/ पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा पर्याप्त पुलिस बल के साथ संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग की जाय।
- वांछित/फरार/NBW अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करते हुए गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय तथा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
- आपराधिक/गुण्डा किस्म के अभियुक्तों को चिह्नित कर नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाय।
- पुरस्कार घोषित/ टॉप–10 अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाय।
- महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों से सम्बन्धित अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना की जाय तथा विवेचनाओं को अनावश्यक लम्बित न रखते हुए शीघ्र निस्तारण किया जाय।
- निस्तारित अभियोगों के लम्बित आरोप पत्र/ अन्तिम रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाय।
- आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण शीघ्र निस्तारण किया जाय, साथ ही सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित कर पीड़ित/शिकायतकर्ता से फीडबैक भी लिया जाय।
- थानों पर अनावश्यक रूप से लम्बित मालों (वाहनों) का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जाय।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी